

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सचनक।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

सचनक दिनांक- 15-5-2019

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संघर्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघर्षित संस्थाओं का सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रणाली वृद्धि/वर्षी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुरूप में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र-17 में किलोका इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सदन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित किलोका इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निर्दिष्ट समिति द्वारा निर्दिष्टानुसार ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, जो संभव में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन प्राप्त हो जाने के संघर्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संघर्षित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारुणिकींग में सम्मिलित करवाया जा सके।

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निर्दिष्ट समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा निर्देश पत्र निर्गत की जायें एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचनक द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रणाली प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रणाली	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रणाली
1.	4007	ए0आई0सी0टी0आई0 संस्थान, जिला बलिया, नुसराबाग, पो-मटगी, बलिया- 224207	डिप्लोमा इन फार्मसी	हां	हां

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विदेशीय शाखा तथा अन्य निर्मित विदेशी एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रमों हेतु क्र. 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु क्र. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के तदनुसार) हेतु क्र. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेशक उत्तर/प्रवेश से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त की अधिकतम प्रवेश/आवेदनों से शुल्क के सम्बन्ध में सचनक-सचय एवं सचनक द्वारा निर्गत किये जाने वाले आचारसंहिता प्रणाली को, और अनुसूचित वर्गों/वर्गों की शिक्षा प्रदान आसपास होगा। शेष निर्धारित

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राथमि/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

- कार्यालय ज्ञाप -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी जलपिन्डन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु किल्लेरस सररीव तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में एमिडि डोट सत्र 2020-21 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संवर्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के एवं-3 में दिखीया इन कार्मिकी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाले पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श का निष्पत्त निर्णय लिया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मिकी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें सथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को उत्तम सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्वे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समता प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	कार्मिकी का स्तर	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	आर०	दुर्गापुरा साकीय आर० संस्थान (अखिल-पूरुबार्, पी०-सं०, वैशिक)	मैकेनिकल डिप्लोमा इन कार्मिकी	III	II	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था (उ०प्र०)सी०आई० / पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदत्त प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमाकारी उ०प्र० सैद्धिक शिक्षा समिति-2019 तथा अन्य विधि विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा सुकृत् निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुकृत् नियम कभी न हरी। पाठ्यक्रमों हेतु ए० प्र० सी०आई०/ - अधिनियम, जो राष्ट्रीय कार्मिकी पाठ्यक्रम हेतु ए० प्र० सी०आई०/ - अधिनियम एवं एक तथा दो राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों (दो राष्ट्रीय कार्मिकी पाठ्यक्रम के अधिनियम) हेतु ए० प्र० सी०आई०

- 1 -

00 प्रतिशत शुल्क की प्रतीक मात्र/ मात्रा से प्राप्त किया जाएगा। अपरिमित के अतिरिक्त मात्र/ मात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सासनोदेश प्रकाशी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे किये गए धर्मिणी द्वारा बट्टे तक 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्गठन किया जाता है, जो नीचे की नवीनतम रूप में लागू होगी।

- ✓ संस्था को प्रमुख प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित मात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीघ्र के रिक्त स्थानों की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्गत सासनोदेशों के अनुसार विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को एगजाईट/सीट/आई/सी/पी/सी/आई/सी से जागगी मात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था अंतर प्रदेश सासन द्वारा बतये गये विधि/विधायक/अधिनियम/सासनोदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा प्रमुख, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बतये गये विधायक, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने में सिरा बन्ना होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही अध्यायक की संस्थाएँ बट्टे पीसीआई/आई/सी/सी से अनुमोदन प्राप्त करने में अवगत रहती है तो इस सम्बन्ध में सस्ता उत्तरदायित्व संस्था का होगा और धर्मिणी स्वयं भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को कोई बट्टे सासन किया जाता है तथा सासन बट्टे के सम्बन्ध में भी सासन द्वारा किये गए कार्य की अधिपूर्ति कार्यवाही आदेश निर्गत किया जाता है तो सस्ता अधिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यवाही सासनोदेशों के अतिरिक्त करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारीक बट्टे के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित मात्र होने से पूर्व पीसीआई/सी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्था करना होगा अतः सभी प्रवेश की (अध्यायक) के सासन से अज्ञात संस्था बट्टे पर शीघ्र प्रवेश) अनुमति नहीं करने की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अध्यायक विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सासन शुल्क/ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिका, प्रमाण, सासन-संख्या, उपकरणों प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, सासनोदेश शुल्क आदि का विवरण उपस्था करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टान हेतु उपर्युक्त सासनोदेशों का पालन करने से सासन विधि को संस्था में अवगत आवश्यक अवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था स्वयं सुनिश्चित को ले कि संस्था में प्रस्तावित/संनमित सासनोदेशों को बतये जाने हेतु निर्देशक धर्मिणी से सासन उपस्था कराते गये अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम का बट्टे संस्था द्वारा किये अन्य अध्यायक के सासन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किये अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता सासन किये जाने की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अवस्था शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में विनियमोत्तर अनुपालन/अज्ञात कार्यवाही की जाएगी।

(सा सासनोदेश विधि)
धर्मिणी

पुस्तक- धर्मिणी/परिषद सासनोदेश/2020/ 1972-2141

तार तिथि: 19-08-2020

धर्मिणी-सासनोदेश/ निर्देशक, एगजाईट/सीट/आई/सी/पी/सी/आई/सी विभाग-पुस्तक, पी-0-002/002/ धर्मिणी

(सा सासनोदेश विधि)
धर्मिणी

कार्यालय

उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक- 09/04/2021

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उखनऊ सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/04/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4097-LPM COLLEGE OF PHARMACY,VILL-PURNACHHAPAR POST-BHATNI,DEORIA-274701

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई/टी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई/टी द्वारा नियंत्रित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टरन विनियमवली-2016 तथा अन्य निहित नियमों एवं आवेदों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्वीं पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20150.00/- प्री-वर्क, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश साधकता से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सार/आवृत्तों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव इनका निर्णय किये जाने वाले वास्तविक प्रदर्शों द्वारा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परिसं निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/विनियमवली-2016) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित कक्षाओं को ही प्रवेश दिए जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वास्तव के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णित वास्तविक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0आई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों/अधिनियमों/संशोधनों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संरचना यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किसी रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई हानि/दायम किया जाय है तथा दायम बंद के संबंध में य0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निगत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यसूचिका प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यसूचिका के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निहित अंतिम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएँ जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिणाम हेतु उपयुक्त मातृसदन उपलब्ध करने के साथ भौतिक ढांचे के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिती के समस्त उपलब्ध करवाये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्पश्चात् संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संसद के स्थरीय निरीक्षण दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, फर्नीचर/उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0आई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राविधि/परिषद सम्बद्धता/2021/2538-4808

दिनांक: 01/08/2021

प्रतिकृति-

प्रध्यामाचार्य/निदेशक, LPM COLLEGE OF PHARMACY,VILL-PURNACHHAPAR POST, BHATNI,DEORIA-274791


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय:

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2022/10235

लखनऊ: दिनांक: 04/11/2022

कार्यालय स्थापना:

अखिल भारतीय इकनोमी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (एनईसी) काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता दृष्टि सहित अन्य सबों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4097-LPM COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्स निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूल्स तीन वर्षीय इकाई/ पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रमों हेतु ₹0- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500,00/- प्रतिवर्ष शूल्स ही प्रत्येक छात्र/छात्रा के द्वारा लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूल्स के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गमित किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूल्स जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गमित विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों/ विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संसक्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिगत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसक्त स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के दिशान्तर यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में न। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संसक्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को संचुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अधिकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संसक्त सूचनाएं जैसे संसक्त की ऐतिहासिक मुद्रि भूमि, सजा, बाउ-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भूखण्ड, छात्रावास सुख अदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक दृष्टिकोण के संसक्त में संसक्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रयोग करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संसक्त में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य बाउ-सजा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

ए०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/10238-10244

दिनांक: 04/11/2022

प्राविधिक

प्रधानाचार्य/निदेशक, LPM COLLEGE OF PHARMACY


(एफ०आर० खान)

सचिव